

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नवम निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पामे जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्माल बिल्डिंग केवल सामाजिक उपयोगार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 170 दिनांक 09/07/2019

प्राथमिकी श्रीमती खुशबू खान w/o श्री इमरत खान

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 30000000

जरिये रसीद संख्या 1621/6222, 6229

दिनांक 09/07/2019 को जमा करा दी है ।

P. No = 295 एलआरजी एवं
शोपना नम्बर 01 कागला मेहन
कार

(Signature)

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी + 1
आवासीय

Med/Kneels

9694055580